प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

. . . .

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

. . . .

पत्रांक– 4335 / नि0शा0 / वि0स्वी0 / म0आ0अ0जा0 / 2020–21 दिनांक– 28 अगस्त, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में अनुसूचित जाति मद में रू0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 26 / 2020 / 837 / सत्रह–म–2020–6–9(9) / 2014 टी0सी0–। दिनांक 10 जून, 2020 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत (नीली क्रान्ति) वर्ष 2019–20 में अवमुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2020–21 के लिए पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों के लिए 16 जनपद में 100 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 72.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 48.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 120.00 लाख (रू0 एक करोड़ बीस लाख मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट संलग्न विवरण के अनुसार आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय डी0बी0टी0 / पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

1– भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20 / 2016 / 2362 / सत्रह–म–2016–6–9(333) / 16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश / गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 18 / 2017 / 1128 / सत्रह–म–2017–6–9(333) / 2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश संख्या 02 / 2018 / 2236 / सत्रह–म–2018–6–9(333) / 2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग–निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4– प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना / कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 24.03.2020, पत्र संख्या–4 / 2020 / बी–1–192 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या–5 / 2020 / बी–1–196 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 11.04.2020 एवं पत्र संख्या–6 / 2020 / बी–1–218 / दस–2020–231 / 2020 दिनांक 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों / प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री / उपकरण कय

विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई0 दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण Eat module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–83–लेखाशीर्षक–2405– मछलीपालन–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0), 35–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 (120) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक– /नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0अ0जा00/2020–21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,प्रयागराज।
2– विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–3।
5– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई0 दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण Eat module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–83–लेखाशीर्षक–2405– मछलीपालन–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0), 35–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 (120) पर अंकित है।

भवदीया

/

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक– 4335/नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0अ0जा00/2020–21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,प्रयागराज।
2– विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–3।
5– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

Was 1(2)2017-18

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष: 2020-2021

आवंटन दिनांक- 28/08/2020

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-MACHUWA AWAS ALLOTMENT G 83 27-8-2020
अनुदान संख्या:-	83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय) 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01 - 02 - ब्लू रिवोलयूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (के.60/रा.40/के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
2	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1320000	720000 1320000
3	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
4	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
5	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
6	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
7	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
8	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
9	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
10	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
11	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000

12	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	960000 960000	960000 960000
13	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
14	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
15	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
16	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	960000 960000	960000 960000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12000000 12600000	12000000 12600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ छब्बीस लाख

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

901(नि०ना०)
19/08/2020

संख्या: 26 /2020 /837/ सत्रह-म-2020-6-9 (9) /2014 टी0सी0-।

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिंनाक: 17 अगस्त,2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में अनुसूचित जाति मद में रू0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 819/नि0शा0/ वि0स्वी0 /एस0सी0 एस0टी0/ 20-21,दिनांक 15 जुलाई,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 जनपदों में 100 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदवार अपेक्षित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए कुल रू0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मछुआ आवास परियोजना हेतु अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए अपने पत्र संख्या-12012/27/2009-एफवाई(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 06.12.2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति वर्ग के 150 मछुआ आवास के निर्माण हेतु एवं 3 प्रतिशत केन्द्रांश के प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 111.24 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था, किन्तु वर्ष 2019-20 में इस मद में आय-व्ययक में बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकी। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत उक्त निर्गत/अप्रयुक्त केन्द्रांश को भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-जे-18001/1/2017-एफवाई दिनांक 23.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या 83 में आय-व्ययक में रू0 201.60 लाख का बजट प्राविधान किया गया है,जिसमें शासनादेश दिनांक 10 जून,2020 द्वारा रू0 81.60 लाख (केन्द्रांश रू0 48.96 लाख+मैंचिंग राज्यांश रू0 32.64 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है,जिसके फलस्वरूप 100 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 120.00 लाख की बजट धनराशि प्रश्नगत मद में उपलब्ध है।

19/08/2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध बजट धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजना में अनुसूचित जाति के 100 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 72.00 लाख तथा मैंचिंग राज्यांश रू0 48.00 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 120.00 लाख (रू0 एक करोड बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति **संलग्नक-1** की तालिकानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज"योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा- निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपयोग प्रमाण पत्र का प्रेषण PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020,दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-609/ई-1-दस-2020,दिनांक 14 अगस्त,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक- यथोक्त।</u>

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या :२८ /2020 /837 (1)/सत्रह-म- 2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।

3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

(शासनादेश संख्या:26 /2020 /837 /सत्रह-म-2020-6-9(9)/ 2014 टी0सी0-I दिनांक 17 अगस्त,2020)

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	योग
1	मथुरा	6	4.32	2.88	7.20
2	श्रावस्ती	8	5.76	3.84	9.60
3	अयोध्या	6	4.32	2.88	7.20
4	सिद्धार्थनगर	8	5.76	3.84	9.60
5	प्रयागराज	6	4.32	2.88	7.20
6	अम्बेडकरनगर	6	4.32	2.88	7.20
7	बदायूं	6	4.32	2.88	7.20
8	कानपुरनगर	6	4.32	2.88	7.20
9	इटावा	6	4.32	2.88	7.20
10	फर्रूखाबाद	6	4.32	2.88	7.20
11	कुशीनगर	6	4.32	2.88	7.20
12	संतकबीरनगर	6	4.32	2.88	7.20
13	बिजनौर	6	4.32	2.88	7.20
14	मिर्जापुर	6	4.32	2.88	7.20
15	भदोही	6	4.32	2.88	7.20
16	सहारनपुर	6	4.32	2.88	7.20
	कुल योग -	**100**	**72.00**	**48.00**	**120.00**

(रूपया एक करोड बीस लाख मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।